



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268765
CG-DL-E-23122025-268765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025/पौष 2, 1947

No. 377]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
(डीपी प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

विषय: जेन कौशिक और अन्य बनाम भारत संघ [2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1405] के मामले में अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2025 के अनुसार परामर्शदात्री समिति का गठन करने के संबंध में।

फा. सं. डीपी-16/1/2024-डीपी.— माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 1405/2023-जेन कौशिक और अन्य बनाम भारत संघ में दिनांक 17.10.2025 के अपने निर्णय के माध्यम से केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक व्यवहार्य समान अवसर नीति और अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश माननीया न्यायमूर्ति सुश्री आशा मेनन की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने नीचे दिए गए अनुसार एक परामर्शदात्री समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

1.	माननीया न्यायमूर्ति सुश्री आशा मेनन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	सुश्री अक्काई पद्मशाली, कर्नाटक की ट्रांस-राइट्स एक्टिविस्ट	सदस्य
3.	सुश्री ग्रेस बानो, दलित अधिकार और ट्रांस-राइट्स एक्टिविस्ट	सदस्य
4.	सुश्री वैजयंती वसंत मोगली, तेलंगाना की ट्रांस-राइट्स एक्टिविस्ट	सदस्य
5.	श्री सौरभ मंडल, एसोसिएट प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत	सदस्य
6.	सुश्री नित्या राजशेखर, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट, सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च, बेंगलुरु	सदस्य
7.	एयर कमोडोर (डॉ.) संजय शर्मा (सेवानिवृत्त), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया, गुरुग्राम	सदस्य
8.	सुश्री जयना कोठारी, वरिष्ठ अधिवक्ता	एमिकस क्यूरी
9.	संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	संयोजक

3. जहां तक रिपोर्ट/नीति के मसौदे की विषय-वस्तु और कार्यक्षेत्र का संबंध है, परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य, जिनके पास समिति में केवल परामर्श देने का अधिकार होगा, निम्नलिखित होंगे:

(i). सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
(ii). सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(iii). सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
(iv). सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(v). सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
(vi). सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार
(vii). सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

4. समिति निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं की जांच करेगी तथा एक व्यापक मसौदा रिपोर्ट और/या नीति मसौदा प्रस्तुत करेगी:

- रोजगार और शिक्षा के क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक व्यवहार्य और व्यापक समान अवसर नीति तैयार करना जिसे सभी प्रतिष्ठानों द्वारा एक मॉडल के रूप में अंगीकार किया जा सके;
- 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' और 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020' में कमियों को दर्शाना और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों का सुझाव भी देना;

- (iii) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह ऐसे उपायों के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति की पहचान प्रकट करते हैं, उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर यथोचित रूप से समायोजित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (iv) शिकायतों के पंजीकरण से लेकर अपील दायर करने तक शिकायत निवारण तंत्र के लिए उचित तंत्र का पता लगाना;
- (v) उन विभिन्न दस्तावेजों की पहचान करना जिनके लिए रिकॉर्ड में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इस परिवर्तन के लिए तंत्र भी बनाना, ताकि परिवर्तन चाहने वाले व्यक्तियों की कोई मानहानि न हो;
- (vi) इस बात पर विचार-विमर्श करना कि ट्रांसजेंडर और लिंग विविध व्यक्तियों के लिए अस्पतालों और चिकित्सा सहायता के स्थानों को कैसे समावेशी बनाया जा सकता है;
- (vii) ऐसे सुझाव देना जिससे राज्य, अत्यधिक नौकरशाहीकरण के बिना, 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के तहत जेंडरक्रीर और गैर-बाइनरी व्यक्तियों, विशेष रूप से उन लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों की गारंटी कैसे दे सकता है जो जेंडर एफीरमेटिव सर्जरी नहीं करवाते हैं;
- (viii) ट्रांसजेंडर और जेंडरक्रीर समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए एक समग्र और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट अधिदेश के अलावा सिफारिशें करना;
- (ix) उपर्युक्त मामलों की जांच करते समय, समिति एक प्रश्नावली परिचालित करके और उस पर लिखित उत्तर मांगकर विभिन्न हितधारकों के विचार प्राप्त करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, समिति सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों से प्रतिनिधित्व की मांग भी कर सकती है और उनसे परामर्श कर सकती है;
- (x) कोई अन्य मामला, जिसे आवश्यक समझा जाए।

5. समिति इस आदेश के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इसके बाद भारत संघ तीन महीने के भीतर अपनी मसौदा नीति के साथ प्रत्युत्तर देगा।

6. उपर्युक्त पैरा 3 में यथाउल्लिखित पदेन सदस्य परामर्शदात्री समिति के साथ सहयोग करेंगे और समिति को अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और संसाधन उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

7. केंद्र सरकार और सभी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र और उनकी एजेंसियां समिति को अपना पूर्ण और सार्थक सहयोग देंगी तथा अपेक्षित डेटा, सूचना और सहायता, जैसा भी आवश्यक हो, प्रदान करेंगी। उपर्युक्त निकायों की ओर से किसी भी विलंब, अनिच्छा या उपेक्षा के मामले में, समिति सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करने के लिए एमिकस क्यूरी के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समिति के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा। इसमें यात्रा, आवास और सचिवालय संबंधी सहायता की व्यवस्था करने के साथ-साथ समिति के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले सभी संबंधित खर्चों को पूरा करना शामिल होगा। मंत्रालय समिति को अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेगा तथा अधिकारियों को अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियां करने में सहायता देगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सदस्यों के योगदान को मान्यता देने के लिए उन्हें उचित मानदेय प्रदान करेगा।

9. परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष, समिति के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय करने, नीति मसौदे और/या अंतिम रिपोर्ट को तैयार करने एवं समिति के कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य जिम्मेदारी के सुचारू और प्रभावी निर्वहन के उद्देश्य से सचिवालय संबंधी सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें समिति के अधिदेश के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक डेटा विश्लेषकों और अनुसंधान सहायकों की सेवाएं लेना शामिल होगा।
10. इसे माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मोनाली पी. धकाटे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

(DP DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2025

Subject: Hon'ble Supreme Court Order dated 17.10.2025 under Article 142 in the matter of Jane Kaushik Vs. Union of India and Others [W.P. (C) No. 1405 of 2023] – Constitution of Advisory Committee – reg.

F. No. DP-16/1/2024-DP.—The Hon'ble Supreme Court vide its judgement dated 17.10.2025, in Writ Petition (Civil) No. 1405/2023-Jane Kaushik & Ors. Vs. Union of India, has directed the Central Government to constitute an Advisory Committee to be chaired by Hon'ble Ms. Justice Asha Menon, Former Judge, Delhi High Court to conduct an incisive study and recommend a viable equal opportunity policy and other measures for transgender persons.

2. Pursuant to the direction of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government has decided to constitute an Advisory Committee with the following composition:

1.	Hon'ble Ms. Justice Asha Menon, Former Judge of the Delhi High Court	Chairperson
2.	Ms. Akkai Padmashali, Karnataka based Trans-rights Activist	Member
3.	Ms. Grace Banu, Dalit rights and Trans-rights Activist	Member
4.	Ms. Vyjayanti Vasanta Mogli, Telangana based Trans-rights Activist	Member
5.	Mr. Sourav Mandal, Associate Professor, Jindal Global Law School, Sonapat	Member
6.	Ms. Nithya Rajshekhar, Senior Research Associate, Centre for law and Policy Research, Bengaluru	Member
7.	Air Cmde (Dr.) Sanjay Sharma (Retd.), Chief Executive Officer, Association for Transgender Health in India, Gurugram	Member
8.	Ms. Jayna Kothari, Senior Advocate	<i>Amicus Curiae</i>
9.	Joint Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment	Convener

3. The following shall be the ex-officio members of the Advisory Committee, who shall have only advisory jurisdiction in the Committee, in so far as the contents and scope of the report/policy draft are concerned:

(i).	Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
(ii).	Secretary, Ministry of Women and Child Development, Govt. of India
(iii).	Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
(iv).	Secretary, Ministry of Education, Govt. of India
(v).	Secretary, Ministry of Labour and Employment, Govt. of India
(vi).	Secretary, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India
(vii).	Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Govt. of India

4. The Committee may examine and submit a comprehensive draft report and /or policy draft addressing the following major points:

- (i) Formulating a viable and comprehensive equal opportunity policy for the transgender community in the arenas of employment and education which may serve as a model for adoption by all establishments;
- (ii) Highlight gaps in the 'Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019' and 'Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020' respectively and also suggest adequate measures to best address such lacunae;
- (iii) Measures to be taken to accommodate transgender persons reasonably in public spaces and workplaces, without being forced to keep their identity a secret, simultaneously keeping in mind that this should not act as measures which reveal the identity of the person, violating their right to privacy;
- (iv) Explore the proper mechanism for grievance redressal mechanism, starting from registration of complaints to the scope for appeals;
- (v) Identify the various documents that require changes in record, and also the mechanism for this change can be created, so that no humiliation is caused to the persons seeking changes;
- (vi) Deliberate upon how hospitals and places of medical aid can be made inclusive for transgender and gender diverse persons;
- (vii) Suggestions may be made how the State, without excessive bureaucratization, can guarantee rights provided under the 'Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019' to genderqueer and non-binary persons, especially those who do not undergo gender affirmative surgeries;
- (viii) Make further recommendations beyond the specified mandate wherever necessary, to ensure a holistic and effective approach towards addressing the issues faced by the transgender and genderqueer community;
- (ix) While examining the above issues, the Committee may consider obtaining the views of the different stakeholders by way of circulating a questionnaire and seeking written responses thereon. Further, the Committee may also seek representation from and consult the governments of all the States and Union Territories;
- (x) Any other issues as deemed necessary.

5. The Committee will submit its report within six months from the date of issue of this order and Union of India to respond with its own draft policy within three months thereafter.

6. The ex-officio members as indicated in para 3 above shall collaborate with the Advisory Committee and extend full cooperation by providing all the necessary information, documents, and resources required by the Committee to effectively carry out its mandate.

7. The Central Government and all the States/Union Territories and agencies thereof, shall extend their full and meaningful cooperation to the Committee and provide the requisite data, information and assistance, as may be necessary. In case of any delay, reluctance or neglect on the part of the aforesaid bodies, the Committee will be at liberty to approach Hon'ble Apex Court through the amicus curiae seeking remedial actions.

8. The Ministry of Social Justice & Empowerment shall provide all necessary logistical support to facilitate the functioning of the Committee. This shall include making arrangements for travel, accommodation, and secretarial assistance, as well as covering all related expenses that the Committee members may incur. The Ministry shall provide office space to the Committee for holding its meetings and also to enable the officials to carry on its day-to-day activities. Additionally, the Ministry shall provide an appropriate honorarium to the members in recognition of their contributions.

9. The Chairpersons of the Advisory Committee shall be at liberty to engage the services of any person for the purpose of providing secretarial assistance in coordinating with the other members of the Committee, preparation of the policy drafts and/or final report and for the smooth and effective discharge of any other responsibilities as may arise during the course of carrying out the remit of the Committee. This shall include engagement of services of Data Analysts and Research Assistants as may be necessary for the effective discharge of the mandate of the Committee.

10. This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment.

MONALI P. DHAKATE, Jt. Secy.